अध्याय 19
अपराध और शास्तियाँ

नियम 162 : अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया

(1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी सीपीडी–01** में, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बन्धित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा।

(3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी सीपीडी–02** में आदेश द्वारा या तो इस संबंध में समाधान होने पर कि आवेदक ने [1]**[.....]** मामले से संबंधित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

[2]**[(3क)** आयुक्त, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपनियम (3) के अधीन शमनीय रकम अवधारित करेगा :–

क्र.सं.	अपराध	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) मे विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पचहत्तर प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के साठ प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय
2	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) मे विनिर्दिष्ट अपराध		
3	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (घ) मे विनिर्दिष्ट अपराध		

---

1 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा ''उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

2 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा उपनियम (3क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

क्र.सं.	अपराध	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
4	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ड.) मे विनिर्दिष्ट अपराध	प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम पचास प्रतिशत के अधीन रहते हुए।	की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम चालीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए।
5	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (च) मे विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम।	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम।
6	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) मे विनिर्दिष्ट अपराध		
7	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ज) मे विनिर्दिष्ट अपराध		
8	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) खंड (ग) से खंड (च) और खंड (ज) और (झ) मे उल्लिखित अपराध करने का प्रयास या अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।

परंतु जहां व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्गों के अधीन आता है, वहां ऐसी दशा में, शमनीय रकम, उस अपराध के लिए अवधारित रकम, जिसके लिए उच्चतर शमनीय रकम विहित की गई है, होगी।**]**

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नामंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा।

(5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जब तक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(6) आवेदक उपनियम (3) के अधीन आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उपनियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा।

(8) किसी व्यक्ति को उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियां छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के संबंध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी।]